STATE BANK OF INDIA

Sl. No. 114395

GSR / 002

RECEIPT

STATE BANK OF INDIA

भिवानी-1531 Branch Code No.

Received a sum of ₹ 28800/-

(Rupees Twenty Eight Thousand Eight hundred only)

from Smt. / Shri Mukesh Kumar

s/o, d/o, w/o Rajpal

residing at Vpo. - Jui Khurd, Distt. Bhiwani for credit to Government of Haryana

account towards Stamp Duty.

Date 2/12/14

Place भिवानी-1531

(Signatures of Authorised Officer)

स्टाम्प डयुटी मु0 28,800/- रूपये बरूवे रसीद सी0 न0-जी एस आर/002 114395 कोड नम्बर 1531 दिनांक 2-12-2014 स्टेट बैक आफ इन्डिया भिवानी मे जमा करवाई गई है।

8357

पटटानामा	पट्टा की राशि	स्टाम्प
मियादी 32 साल	2,40,000/-रूपये वार्षिक	28,800/-रूपये

हम 1- राजेन्द्र प्रसाद 2- लीलाधर 3- प्रवीण कुमार 4- कृष्ण कुमार पुत्रान श्री रामकुमार पुत्र श्री खेता निवासीगण गांव लोहानी तहसील व जिला भिवानी ———फरीकअव्वल

व

5-मुकेश कुमार पुत्र श्री राजपाल पुत्र श्री हरफुल निवासी गांव जुईखुर्द तहसील व जिला भिवानी ———फरीकदोयम

मन फरीकअव्वल अपनी स्वस्थ चित व स्वस्थ बुद्वि से इकरार करते है और लिख देते है कि मन फरीकअव्वल अराजी जरई मुन्द्रजा खेवट नम्बर 880मिन खतौनी नम्बर 1035 खसरा नम्बर 100//23/2/2(4-1), 24/2(1-15) तादादी 5 कनाल 16 मरले बरूवे जमाबन्दी साल 2012-2013 वाका मौजा लोहानी तहसील व जिला भिवानी के मालिकान व काबिजान बहिस्सा

हरदयाल महता
प्रलेख लेखक
चैम्बर नं0 5, भिवानी

राजेन्द्र

बराबर होते है। अराजी बाला हर प्रकार के भार पाक व साफ है जिस पर कोई मुकदमा , झगड़ा , कर्जा व स्टेय आदि नहीं है । अराजी बाला को मुन्तकिल करने के मुझे पूरे–2 हक हासिल होते है। मन फरीकअव्वल को रकम की जायंज जरूरत है , इस लिए मन फरीकअव्वल बकायमी होश हवाश , बिना किसी के दबाव ,धमकाव , फुसलाव , बहकाव व प्रभाव मे आए हुए अपनी तन मन की स्वस्थ अवस्था मे अराजी उपरोक्त सालिम तादादी 5 कनाल 16 मरले बमय सर्वाधिकार रास्ता, दरखतान, सिचाई साधन, हकूक दाखली व खारजी हर किस्म जो मन मिकर फरीकअव्वल को हासिल होते है बामुकाबिला राशी मु0 2,40,000/–रूपये (दो लाख चालीस हजार रूपये) सालाना की दर से बराये 32 (बत्तीस) साल अज दिनांक 2–12–2014 से पास व बहैक मुकेश कुमार पुत्र श्री राजपाल पुत्र श्री हरफुल निवासी गांव जुईखुर्द तहसील व जिला भिवानी फरीकदोयम पटटा पर देकर कब्जा वाकई मौके पर फरीकदोयम पटटेदार को करा दिया है अब मौका पर फरीकदोयम का बतौर पटटेदार के कब्जा है। शरायत पटटेदारी निम्नलिखित है :– मियाद पटटेदारी दिनांक 2–12–2014 से आरम्भ होकर दिनांक 2–12–2046 को समाप्त होगी । फरीकदोयम अराजी उपरोक्त जेर पटटा मे अपनी लागत से पट्रोल पम्प स्थापित करे एवं कार्यालय तामीर करे , पट्रोल पम्प स्थापित करने के लिए जमीन के नीचे टैंक निमार्ण करवाए तथा अराजी बाला को अपनी आवश्यकता अनुसार प्रयोग करे , बिजली विभाग से बिजली का कनैक्शन लेवे , टेलिफोन विभाग से टेलिफोन कनैक्शन लेवे तथा जनस्वास्थय विभाग से पानी का कनैक्शन लेवे , किसी विभाग से नकशा आदि पास करवाए तथा पट्रौल पम्प स्थापित करने के लिए निमार्ण करवाने की स्वीकृति सम्बन्धित महकमाजात से प्राप्त करे तथा किसी प्रकार सिक्योरिटी आदि जमा करवाए , किसी बैक अथवा वितिय संस्था एवं किसी महकमा से बिल्डिंग आदि निमार्ण करने के लिए ऋण आदि लेवे , पैट्रोलियम कम्पनी से अराजी बाला पर भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि0 का पट्रोल पम्प स्थापित करने के लिए मन्जूरी लेवे तथा तमाम आवश्यक कार्यवाही करे , इसमे मन फरीकअव्वल को कोई उजर व एतराज नही होगा तथा अराजी बाला को पैट्रोलियम कम्पनी के पास (उप पटटा) सब लीज करे तथा उप पटटा व सब लीज की तमाम कार्यवाही करे तथा तमाम आवश्यक कार्यवाही करे , इसमे मन फरीकअव्वल को कोई उजर व एतराज नही होगा । बिल बिजली , टेलिफोन , पानी आदि भरने की जिम्मेवारी फरीकदोयम की होगी । ऋण आदि जमा करवाने की जिम्मेवारी भी फरीकदोयम की होगी । फरीकअव्वल की किसी तरह के बिलो एवं ऋण की अदायगी करने की जिम्मेवारी नही होगी। अराजी बाला पर फरीकदोयम जो भी बिल्डिंग अपने खर्चा से तामीर करेगा उस बिल्डिंग को फरीकदोयम पट्रोल पम्प संचालित करने के लिए प्रयोग करेगा , फरीकअव्वल कोई उजर व एतराज नही करेगा। मन फरीकअव्वल निश्चित शुदा मयाद से पहले अराजी बाला का कब्जा वापिस नही ले सकेगा तथा ना ही इस पटटानामा को किसी भी प्रकार से मन्सुख करवा सकेगा। पटटा राशि हर एक वर्ष की समाप्ती पर फरीकदोयम से दौराने पटटेदारी फरीकअव्वल वसूल करके रसीद देता रहेगा तथा बिना रसीद कोई अदायगी रकम जर पटटा मान्य नही होगी ।

राजेन्द्र

अराजी बाला को व अराजी बाला पर निमार्ण करवाए गए भवन को फरीकदोयम आगे किसी व्यकित को सबलैट नही करेगा और ना ही किसी को मांगा हुआ देगा। इन्तकाल बहक पटटेदार दर्ज करवाकर तसदीक करवा दूँगा । मयाद पटटेदारी समाप्त होने पर फरीकदोयम अराजी बाला को खाली करके तथा अपने निमार्ण शुदा भवन को हटाकर खाली अराजी का कब्जा वाकई फरीकअव्वल को देने का पाबन्द व जिम्मेवार होगा । फरीकदोयम कब्जा अराजी बाला छोड़ते समय किसी प्रकार के मुआवजा का अधिकारी नही होगा । यदि फरीकदोयम मयाद पटटेदारी समाप्त होने पर अराजी बाला को खाली करके कब्जा हवाले फरीकअव्ल नही करेगा तो फरीकअव्वल को कानूनी चाराजोई करके अराजी बाला का कब्जा प्राप्त करने के अधिकार होगे । नुकस कानूनी व मलकियती की जिम्मेवारी फरीकअव्वल की होगी। पटटा पर दी गई अराजी के पूर्व मे लोहारू रोड़ है तथा रोड़ पर फरन्ट 170 फुट है। पाबन्दी दस्तावेज हजा की फरीकैन की तरह से उनके वारसान पर न्याई रहेगी । पटटानामा पर स्टाम्प मु0 28,800/– रूपये का नियमानुसार लगाया गया है । क्योकि पटटा की मयाद बत्तीस साल है और रकम जरे पटटा 2,40,000/– रूपये सालाना है। इसलिए स्टाम्प एक साल औसत पर पटटा की जरे रकम की चार गुणा पर तीन प्रतिशत लगाया गया है। फरीकदोयम प्रत्येक पांच साल पूर्ण होने के पश्चात दस प्रतिशत पटटा राशी बढाकर फरीकअव्वल को अदा करने का पाबन्द होगा। अतः यह पटटानामा मियादी 32 साल रोबरू गवाहान तहरीर कर दिया है ताकि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। मजमुन दस्तावेज पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिसे सुन कर व समझ कर फरीकैन ने दुरूस्त तसलीम किया । उपरोक्त दस्तावेज पटटानामा का मजमुन मैने दोनो फरीकैन की हिदायतो के अनुसार तैयार किया है। हरदयाल महता प्रलेख लेखक भिवानी रजिस्टर संख्या 1239

दिनांक 3-12-2014

हरदयाल महता
प्रलेख लेखक
चैम्बर नं0 5, भिवानी

फरीकअव्वल
राजेन्द्र प्रसाद–लीलाधर–प्रवीण कुमार–कृष्ण कुमार

फरीकदोयम
मुकेश कुमार की ओरसे ईश्वर सिंह पुत्र रामसिंह R/o हुईखुर्द

गवाह
श्री मनोहरलाल
नम्बरदार सोहानी

गवाह
रामविलास पुत्र बनवारी
R/o हुईखुर्द